था और उस तारीख को चयन ग्रेड रखने से वह कर्नल के रैंक में अपना वेतन निर्धारित करने का हकदार नहीं होगा। इसलिए, हम इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को भी रद्द कर देते हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि प्रतिवादी 1 जनवरी, 1986 को अपना वेतन रु. 3,900 प्लस रैंक वेतन निर्धारित करवाने का हकदार होगा।

(12) हमने ऊपर उल्लिखित संबंधित रिट याचिकाओं में पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर भी विचार किया है। पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए समीक्षा के अवसरों की संख्या के संबंध में प्रस्तुतियाँ पहले ही हमारे द्वारा निपटा दी गई हैं। गुण- दोष के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के मामलों को उनके सेवा रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए और उनके उत्कृष्ट करियर की पूरी तरह से सराहना न करते हुए पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। हमने इस मामले पर पक्षों के विद्वान वकीलों को भी सुना है और रिकॉर्ड की भी सूक्ष्मता से जांच की है। हमने पाया कि याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विभिन्न चयन समितियों द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया था जिसमें बहुत उच्च रैंक के अधिकारी शामिल थे। हम यह भी पाते हैं कि प्रत्येक मामले में सही मूल्यांकन किया गया प्रतीत होता है। निस्संदेह, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से परे के अधिकारी को चयन के माध्यम से अपनी पदोन्नति की तलाश करनी चाहिए और कोई समय- पैमाने पर पदोन्नति नहीं है। चयन एक चयन बोर्ड द्वारा किया जाना है और यह न्यायालय बोर्ड की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से तब तक झिझकेगा जब तक कि कोई स्पष्ट कमी सामने न आ जाए। हमें पदोन्नति के लिए विभिन्न चयन बोर्डों की कार्यवाही में ऐसी कोई खामी नहीं मिली जिसमें याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार किया गया था।

(13) ऊपर दर्ज कारणों से, एल.पी.ए. 1990 की संख्या 900 को अनुमति दी जाती है, जबकि 1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 10133, 1989 की 14714 और 16795 और 1991 की 2044 को खारिज कर दिया गया है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

आर.एन.आर.

माननीय न्यायमूर्ति ए.एल. बहरी और एच.एस. बेदी, जे.जे के समक्ष

एचसी मुंशी राम - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

Civil Writ Petition No. 7237 of 1991.

6 अगस्त, 1991.

पंजाब पुलिस नियम, 1934 आरएल। 16.2- निलंबन अवधि के दौरान अनुपस्थिति को कर्तव्य से अनुपस्थिति नहीं माना जा सकता- ऐसी अनुपस्थिति सेवा से बर्खास्तगी का आधार नहीं बन सकती।

अभिनिर्धारित किया गया कि सेवा से निलंबित होने के बाद याचिकाकर्ता 174 दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहा, इस निष्कर्ष के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश कानून के तहत बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, यदि सलाह दी जाए, तो दंड प्राधिकारी के लिए यह खुला होगा कि वह निलंबन के आदेश से पहले अनुपस्थिति की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक उचित आदेश पारित करे।

(पैरा 2)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

(i) कृपया मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाए;

(ii) 11 अप्रैल, 1989 के आदेश को रद्द करने वाली सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है और 26 जुलाई, 1990 का आदेश, अनुबंध पी/ 4 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त कर दिया गया है और आदेश दिनांकित 10 अक्टूबर, 1990 अनुबंध पी/ 5 है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई है और आदेश दिनांक 5 मार्च, 1991 अनुबंध पी/ 7 जिसके द्वारा अपील की अस्वीकृति के खिलाफ याचिकाकर्ता का पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया है, जारी किया जाए;

(iii) इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय कोई अन्य उचित, रिट, आदेश या निर्देश जारी करने में प्रसन्न हो सकता है जो वह उचित समझे;

(iv) उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के तहत उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी करने को कृपया समाप्त किया जाए;

(v) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना कृपया छोड़ा जाए;

(vi) कृपया याचिका की लागत याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।

याचिकाकर्ता के वकील, पी. एस. पटवालिया।

जय वीर यादव, डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादियों के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति ए एल बहरी, जे.

निर्णय

(1) इस रिट याचिका में विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या सेवा से निलंबित होने के बाद याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति की अवधि को आरोप- पत्र के आरोप के रूप में ड्यूटी से अनुपस्थिति माना जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उसकी बर्खास्तगी हुई।

(2) याचिकाकर्ता मुंशी राम हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। 11 अप्रैल, 1989 को उन्हें 23 फरवरी, 1989 से निलंबित कर दिया गया था। कई दिनों तक जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आधार पर उन्हें 25 मई, 1990 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसका विवरण आरोप पत्र में दिया गया है, (अनुलग्नक पी-1)। यह अवधि 18 सितंबर, 1988 से शुरू होकर 7 मई, 1990 तक है। जांच के बाद 12 जून, 1990 को याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। परिणामस्वरूप, सेवा से बर्खास्तगी का आदेश 26 जुलाई, 1990 को पारित किया गया (अनुलग्नक पी-4)। अपील खारिज कर दी गई, - आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 1990, (अनुलग्नक पी-5) के तहत और आगे पुनरीक्षण को 5 मार्च, 1991 को खारिज कर दिया गया, (अनुलग्नक पी-7)। पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 16.2 में प्रावधान है बर्खास्तगी के लिए आधार (i) कदाचार के सबसे गंभीर कृत्य और (ii) निरंतर कदाचार का संचयी प्रभाव जो पुलिस सेवा से असुधार्यता और पूर्ण अयोग्यता साबित करता है।यदि अनुपस्थिति की पूरी अवधि 174 दिन मानी गई होती तो निलंबन का आदेश और उसके बाद पारित बर्खास्तगी का आदेश कायम रहता। हालाँकि, रमेश चंदर चुग सहायक अभियंता (सिविल) बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (1) में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के मद्देनजर, एक व्यक्ति, जिसे निलंबित कर दिया गया था, को प्रतिदिन अपने मुख्यालय में कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। उपरोक्त मामले में, मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा रमेश चंद्र, जो निलंबित थे, को अपने मुख्यालय में प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, जिसे बिना अधिकार क्षेत्र के और रद्द करने योग्य माना गया । उपरोक्त निर्णय और वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुपात को लागू करने पर 174 दिनों की अनुपस्थिति याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आधार नहीं बन सकती। उनके निलंबन से पहले की अवधि मुश्किल से लगभग 46 दिन थी। यह निर्णय देना इस न्यायालय का काम नहीं है कि 46 दिनों की अनुपस्थिति के आरोप के सबूत पर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जा सकता है या नहीं। यदि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति 46 दिनों के लिए है, तो मामले से निपटने वाले अधिकारियों को सजा का उचित आदेश पारित करना होगा। इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार। गणना के अनुसार यह अवधि केवल 44 दिन है। जैसा भी हो, चूंकि विवादित आदेश इस निष्कर्ष पर आधारित है कि याचिकाकर्ता 174 दिनों

तक अनुपस्थित रहा, इसलिए इसे कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आदेश अनुलग्नक पी-3 और उसके बाद अपील और पुनरीक्षण अनुलग्नक पी-4 पर पारित आदेश पी-5 और पी-7, दंड प्राधिकारी को, यदि ऐसी सलाह दी गई है, तो निलंबन के आदेश से पहले अनुपस्थिति की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक उचित आदेश पारित करने के लिए छोड़ कर रद्द कर दिया जाता है। उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करने के परिणामस्वरूप सभी लाभ मिलेंगे। आशा है कि याचिकाकर्ता को मिलने वाले आवश्यक लाभ आज से छह महीने की अवधि के भीतर उसे उपलब्ध करा दिए जाएंगे और याचिकाकर्ता की बहाली तुरंत कर दी जाएगी। यह उचित आदेश पारित करने के लिए संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है जिसका संभावित प्रभाव होगा।

(3) उपरोक्तानुसार रिट याचिका को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।

आर.एन.आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा

---

(1) 1986 (3) S.L.P. I

4093/ एचसी- सरकार। प्रेस, यू.टी., Chd.